

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019/ए-961

जयपुर, दिनांक : 29.01.2019

आदेश


डा. अरविन्द कुमार गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पीएमआर), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर का बकाया वेतन उपस्थिति के आधार पर मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर में उपलब्ध रिक्त पद से एवं आगामी वेतन राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में डा. गुप्ता के पूर्व पदस्थापित पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 2768/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.08.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/अजमेर
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 12.10.2018 के क्रम में।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
7. डा. अरविन्द कुमार गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पीएमआर), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
8. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव